

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता राउमावि एवं समकक्ष स्तर के कार्मिक जो कि कॉलम संख्या 04 में वर्णित दिनांक से आदेशों की प्रतीक्षा में है, को तत्काल प्रभाव से कॉलम संख्या 07 में अंकित विद्यालय में व्याख्याता के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. स.	नाम व्याख्याता	विषय	निदेशालय में कार्यग्रहण तिथि	एपीओ से पूर्व पदस्थापन स्थान	एपीओ का कारण	कहाँ को
1	2	3	4	5	6	7
1.	पिंकी शर्मा	रसायन विज्ञान	18.04.2022	श्री लालचन्द चैनाजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाटाडा, पाली	प्रशासनिक कारण	राउमावि, मुहाना, जयपुर (218220)

इन्हे आदेश जारी होने की दिनांक को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति नवीन पदस्थापन स्थान पर दें।

संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनकी कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर दर्ज करावें एवं इस कार्यालय को प्रेषित करावें।



(गौरव अग्रवाल)

IAS

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / मा / संस्था / सी-4 / एपीओ पदस्थापन / 20-21

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
7. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रति प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त करने संबंधी कार्यवाही करावें। उक्त अवधि में कार्मिक ने 10 दिवस के आकस्मिक अवकाश का उपभोग किया है।
8. संबंधित संस्था प्रधान को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों के एपीओ अवधि का वेतन संबंधित नवीन पदस्थापित विद्यालय से देय होगा।
9. संबंधित कार्मिक.....।
10. निजी / रक्षित पत्रावली।

दिनांक: 06.05.2022


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर